

**यदि आप अपील करने वाले पक्षकार हैं तथा आप
सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर उपलब्ध नहीं हैं
तो आयोग द्वारा केस को बर्खास्त कर दिया जाएगा**

सुनवाई निर्देश

परिसाक्ष्य शपथ के अन्तर्गत लिया जाता है तथा सुनवाई को रिकॉर्ड किया जाता है।

यह एक सुनवाई है जिसमें सशपथ परिसाक्ष्य आवश्यक है। साक्ष्य देने का यह आपका एकमात्र अवसर हो सकता है। आप सुनवाई में साक्षी को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा आपका प्रतिनिधित्व किसी अभिवक्ता द्वारा किया जा सकता है। दोनों में से किसी भी स्थिति में, सुनवाई के समय आपको उनकी उपलब्धता की व्यवस्था करना आवश्यक है। सम्मन अनुरोधों को सुनवाई अधिकारी को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

यदि आपके पास सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में देने के लिए प्रलेख हैं, तो आपको सुनवाई अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए मूल प्रति लाना आवश्यक है, तथा दो छाया प्रतियाँ लाना आवश्यक हैं, एक प्रति एम्पलॉयमेन्ट सिक्योरिटी कमीशन हेतु अभिवक्ता के लिए तथा एक प्रति अपने लिए।

यदि आप एक अपील करने वाले पक्षकार के रूप में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तथा आरम्भिक बुलावे पर उत्तर नहीं देते हैं तो सुनवाई को पंद्रह (15) मिनटों के लिए विलम्बित किया जाएगा। यदि अपील करने वाला पक्षकार पंद्रह (15) मिनट के विलम्ब के पश्चात भी उपस्थित नहीं होता है, तो अपील बर्खास्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी: केस की सुनवाई करने हेतु निर्दिष्ट किए गए सुनवाई अधिकारी मात्र ही एक निरन्तरता प्रदान कर सकते हैं। असुविधा तथा शामिल अतिरिक्त व्यय के कारण मात्र असामान्य परिस्थितियों में ही निरन्तरता प्रदान की जाएगी। एक निरन्तरता का अनुरोध करने के लिए नियत सुनवाई तिथि से पूर्व सुनवाई अधिकारी को कॉल करें।

सुनवाई सूचना प्रेषित: अक्टूबर _____, 2015